

पत्र.....

प्र. 1 पत्र पेश करने वाले आवेदन पत्र पेश करने वाले अपने पास रहने दें।

(प्राप्त हुई फीस के लिए रसीद)

1. पेश करने वाले या आवेदन-पत्र देने वाले का नाम पहलाप कुमार (पु)
2. लेख-पत्र की क्रम बीजडी
3. विवरण फीस जो प्राप्त हुई राज्याध्यक्षी शान
4. प्रतिफल की रकम 100 ग्राम

क. फीस रजिस्ट्री :

(1) साधारण फीस रजिस्ट्री

रुपये पैसे  
3840

(2) लेख-पत्र की पुस्तक में प्रतिलिपि करने की फीस

200

(3) धारा 64 से 67 के अनुसार जापन जारी करने की फीस

ख. धारा 57 के अनुसार प्रार्थियों के प्रविष्ट लेखों की प्रतिलिपि देने की फीस

ग. विविध फीस :

(1) साधारण अथवा विशेष अधिकार-पत्र प्रमाणीकरण फीस

(2) धारा 62 के अनुसार अनुवाद प्रस्तुत करने की फीस

(3) धारा 25 से 34 के अनुसार देर से लेख-पत्र प्रस्तुत होने अथवा सम्पादनकर्ता इत्यादि के उपस्थित होने के कारण चुकाई हुई फीस

23410

(4) कमीशन तथा घर पर जाने की फीस तथा भत्ता

(5) रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री करने पर अतिरिक्त फीस

(6) संरक्षण फीस

(7) मोहरबन्द लिफाफे (जिसमें वसीयत पत्र रखा हो)

अमानत रखने, वापिस लेने अथवा खोलने की फीस

(8) पुस्तक के निरीक्षण अथवा तलाशी की फीस

(9) अन्य विविध प्रकार की आय (जिसमें रद्दी पदार्थों की बिक्री इत्यादि की आय सम्मिलित है)

योग फीस

27450

फीस के प्राप्त होने की तारीख 05/21/08

लेख-पत्र या प्रतिलिपि तलाश सर्टिफिकेट पाने के हस्ताक्षर और लौटाये जाने या पाने की तारीख 05/21/08

रजिस्ट्री करने वाले अधिकारी

रूप पंजीयक

बहुधा (दोहा) राब





राजस्थान RAJASTHAN

लीज डीड

मुद्रांक-1550/- 722116

यह किराया नामा आज दिनांक 5 फरवरी 2008 को प्रहलाद कुमार शर्मा पुत्र श्री राधाकृष्ण शर्मा उम्र 32 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी पाखर तहसील महवा जिला दौसा (जिसे आगे प्रथम पक्ष एवं जमीन का मालिक कहा गया है। तथा बबेरवाड शिक्षा समिति महवा जिला दौसा राजस्थान रजिस्ट्रेशन नम्बर 127/2003 जरिये अध्यक्ष, प्रहलाद कुमार शर्मा पुत्र श्री राधाकृष्ण शर्मा उम्र 32 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी पाखर तहसील महवा जिला दौसा (जिसे आगे द्वितीय पक्ष कहा गया है) एवं इस लेख पत्र का द्वितीय पक्षकार भी है, के बीच निम्न प्रकार निष्पादित किया गया है:-

जो कि मुझ प्रथम पक्ष का राजस्व ग्राम रामगढ़ में स्थित खसरा नंबर 133/1240 रकबा 0.12, 134 रकबा 0.39 है। जिसकी खातेदारी मुझ प्रथमपक्ष के नाम अंकित है। उक्त खसरा नंबर 133/1240 रकबा 0.12 मे से 1/2, 134 रकबा 0.39 में से 2/3 हिस्से ( जिसका कुल क्षेत्रफल 3200 वर्ग मीटर होता हैं।) को द्वितीय पक्ष 40 वर्ष के लिये 9600/- रु0 अक्षरे नौ हजार छः सौ रुपये प्रतिवर्ष किराये पर लेना चाहता है जिसके लिये मैं प्रथम पक्ष सहमत हूं। अतःएव हम दोनों पक्ष यह लेखपत्र साक्ष्यांकित करते है :

1. यह कि उक्त 3200 वर्ग मीटर भूमि 40 वर्ष के लिये द्वितीय पक्ष के आधिपत्य में रहेगी। जिसका उपयोग एवं उपभोग एवं लीज की शर्तों के अनुसार कर सकेगा।

*Prhlaad Kumar Sharma*





राजस्थान RAJASTHAN

-2-

247162

2. यह है कि लीज डीड आज दिनांक 05.02.2008 से प्रारम्भ होकर दिनांक 04.02.2048 को समाप्त होगी एवं आगे उक्त अवधि के अलावा वृद्धि करने का अधिकार मुझ प्रथम पक्ष का होगा।
3. यह है कि द्वितीय पक्षकार उक्त भूमि  $\times \times \times \times$  का किराया प्रत्येक वर्ष की प्रथम तारीख को वार्षिक किराये राशि अदाकर मुझ प्रथम पक्ष से रसीद प्राप्त करेगा।
4. यह है कि उक्त भूमि  $\times \times \times \times \times$  का एक वर्ष का किराया अग्रिम देय होगा जो लीजडीड अवधि की समाप्ति पर लौटा दिया जावेगा।
5. यह है कि द्वितीय पक्षकार को उक्त भूमि एवं भवन में बबेरवाड शिक्षा समिति, महवा तहसील महवा जिला दौसा के अन्तर्गत विभिन्न योजनाएँ संचालन का कार्य करने हेतु ही किराये पर दी गई है।
6. यह है कि उक्त भूमि एवं भवन में द्वितीय पक्षकार बबेरवाड शिक्षा समिति, महवा के अन्तर्गत विभिन्न योजनाएँ संचालन का कार्य करने में मैं प्रथम पक्षकार पूर्ण रूप से सहमत रहूंगा। इसमें मुझ प्रथम पक्षकार को कोई एतराज नहीं होगा।
7. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त 3200 वर्ग मीटर भूमि को स्वयं के अलावा अन्य किसी को किराये पर नहीं देगा।

*W. S. Sharma*

..3..



# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

रु.50

FIFTY  
RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL



B 764442

-3-

8. यह कि उक्त 3200 वर्ग मीटर भूमि पर बिजली पानी की व्यवस्था द्वितीय पक्ष अपने खर्च पर करेगा तथा अपने स्तर पर ही कनेक्शन आदि प्राप्त करने को स्वतंत्र होगा।

9. यह कि इस लीज में कोई भी तथ्य संदिग्ध नहीं है।

अतः इस लेखपत्र को दोनों पक्षकारों ने बिना किसी दवाब के पूर्ण होश हवास में अंकित कराकर हस्ताक्षर खुद के एवं गवाहान के करा दिये हैं।

दिनांक : 05 फरवरी 2008 सोमवार

लेखक :- मदन मोहन दीक्षित, प्रलेख लेखक, महवा ला0नं0 35

हरीश शर्मा

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष

साक्षी:- हरीश शर्मा पुत्र श्री राधाकृष्ण शर्मा

उम्र 40 वर्ष जाति - ब्राह्मण नि. पावर

साक्षी: हरिमोहन शर्मा

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष

हरिमोहन शर्मा पुत्र श्री रामचन्द्र शर्मा उम्र 25 वर्ष

जाति - ब्राह्मण निवासी - रामगढ़

लीज पर दी गई भूमि



उत्तर